

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/97829/AME/AMETHI/1226/CFO

दिनांक: 12-10-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **LAKSHYA PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **2932, VILLAGE AND POST THAURI JAGDISHPUR, AMETHI** तहसील - **MUSAFIRKHANA**, प्लाट एरिया **6340 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2474.42** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
LAKSHYA PUBLIC SCHOOL	3	0	12 mt.
BLOCK 2	2	0	7.4 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **LAKSHYA PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **06-12-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PRADEEP KUMAR MISHRA mishrapradeep640@gmail.com 6307966535** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **09-12-2023** से **08-12-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **LAKSHYA PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **LAKSHYA PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : विद्यमान शैक्षिक भवन पूर्व से निर्मित एवं संचालित है जिसमें शासनादेश संख्या 18/छ:-पु-8-2022/905 (34)/2016 टी0सी0 दिनांक: 07.01.2022 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था स्थापित एवं कार्यशील है। विद्यालय भवन में निकास मार्ग के रूप में रैंप का निर्माण प्रथम तल तक पूर्ण हो चुका है और द्वितीय तल का रैंप का निर्माण कार्य प्रचलित है अतः द्वितीय तल तक रैंप का निर्माण पूर्ण होने पर ही भवन के द्वितीय तल का प्रयोग किया जाएगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(SUNIL KUMAR SINGH)

[87DFD53FB1736CCC01CDC1FD2A23A68DB696A4DA]

09-12-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 09-12-2023
स्थान : AMETHI